संख्या-20 /2017/1683/62-1-2017-863/98

प्रेषक,

शरद कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0,
लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक- 18 दिसम्बर,2017

विषय-भूगर्भ जल विभाग द्वारा भूजल विकास/दोहन हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-758 जी/भू0ज0वि0/डी-20 (एन0ओ0सी0), दिनांक 22 सितम्बर, 2017 के क्रम में मुझे यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-11/2017/915/62-1-2017-863/98, दिनांक 31 जुलाई, 2017 द्वारा मात्र भूगर्भ जल विभाग के तकनीकी सेवाओं एवं आंकड़ों/मानचित्रों के विपणन की दरे जो शासनादेश संख्या-436/62-1-2017-863/98, दिनांक 25 मई, 2004 के प्रस्तर-2 में निर्धारित की गयी थीं, को निरस्त करते हुए विभागीय तकनीकी सेवाओं एवं आंकड़ों/मानचित्रों के आंकड़ों को पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराये जाने हेतु विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्णय लिया गया था । शासनादेश संख्या-436/62-1-2017-863/98, दिनांक 25 मई, 2004 में उल्लिखित अन्य शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

भवदीय,

(शरद कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-20 /2017/1683(1/62-1-2017, तदद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
(3) समस्त मण्डलीय/खण्डीय अधिकारी, उ0प्र0।
(4) समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(संजय शुक्ला)
अनु सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in